मेरठ विकास प्राधिकरण

की

102 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 18–06–2014

का

कार्यवृत्त

मेरठ।

10. श्री डी0पी0श्रीवास्तव	अपर ज़िलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ	विशेष आमन्त्रित सदस्य।
11. डा0 राजेश सिंह,	शासन द्वारा नामित सदस्य, दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य।
12. श्री परमिन्दर इसू,	शासन द्वारा नामित सदस्य, 32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य।
13. श्री राजेश कुमार,	उपाध्यक्ष/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 व प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2 व 8

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। इस बिन्दु के सम्बन्ध में शासन द्वारा नामित सदस्य श्री परमिन्दर इसू द्वारा शहर में प्रवर्तन की कार्यवाही से संतुष्ट होकर प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया तथा यह तथ्य भी रखा कि प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत 140 विवाह मण्डपों, नर्सिंग होम्स व टावर की सूची नहीं दी गयी है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अनधिकृत कालोनियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर लोड है तथा अवैध विवाह मण्डपों, नर्सिंग होम व टावर की सूची तैयार कर बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 20, 21 व 22

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा कालोनी हस्तान्तरण के समय नगर निगम को दी गयी धनराशि से प्राधिकरण की पल्लवपुरम फेस–2 व श्रद्धापुरी फेस–प्रथम तथा गंगानगर योजना में जो कार्य कराये जा रहे है, उसकी निरीक्षण/सत्यापन आख्या, निर्धारित तालिका पर मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मेरठ व मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, मेरठ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रारूप (कार्य का नाम, स्वीकृत धनराशि, वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति) पर मण्डलायुक्त/अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे। नगर निगम द्वारा कराये जा रहे उक्त योजनाओं के 10 प्रतिशत कार्यो के नमूने भी आई0आई0टी0 रूड़की से परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा वेद व्यासपुरी योजना के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा रक्षापुरम फेस–2 योजना की अर्जित भूमि पर चल रहे यथा स्थिति के आदेश के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि याचिका में अगली सुनवाई तिथि कौनसी नियत है, प्रगति से आगामी बोर्ड को अवगत कराया जाय।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 01

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद संख्या 1, 2 व 3

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। रक्षापुरम फेस–2 योजना की अर्जित भूमि पर चल रहे यथा स्थिति के आदेश के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि याचिका में अगली सुनवाई तिथि कौनसी नियत है, प्रगति से आगामी बोर्ड को अवगत कराया जाय।

अनुपूरक मद सं0 4 व 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रस्ताव पर भेजे गये पत्र की संख्या व दिनांक आदि पत्र भेजने पर उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं यदि उत्तर प्राप्त हुआ तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ, का उल्लेख करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

अनुपूरक मद सं0 6

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि एम्बेसेडर कार क्रय करने के सम्बन्ध में कार्य आदेश जारी किया गया। कम्पनी द्वारा एम्बेसेडर कार का उत्पादन बन्द कर दिया गया है जिसके कारण गाड़ी उपलब्ध नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि कार्यहित में अन्य वाहन जो कि पूर्व की वित्तीय सीमा में हो, क्रय कर लिया जाये।

अनुपूरक मद सं0 7

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि नई अधिग्रहण नीति के तहत कृषक भूमि देना चाहते है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कृषकों के साथ एक बैठक कर लें तथा आगामी बोर्ड बैठक में परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अनुपूरक मद सं0 8

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 9

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये कि जिन अवैध कालोनियों में मानक पूरें नहीं हो रहे है, का नियमितिकरण किस तरह हो सकता है, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के विधि परामर्शी से राय प्राप्त कर लें। तदोपरान्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

मद सं0 11 व 12

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। प्रगति बोर्ड की अगली बैठक में भी रखें।

अनुपूरक मद सं0 13

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि आगरा, कानपुर, गाजियाबाद व लखनऊ विकास प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ताकि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जा सके।

अनुपूरक मद सं0 14

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपूरक मद सं0 15

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। भूमि अर्जन एवं उससे सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु गठित समिति की कितनी बैठके हुई। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य विकास प्राधिकरणों को जो पत्र भेजा गया पत्र सं0 व दिनांक व अनुस्मारक भेजा गया उसका पत्रांक दिनांक? कमेटी की बैठक में क्या आँकडे आये, कितने प्रकरण निस्तारित हुए? कितने शेष है? का पूर्ण विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–06–2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 01

मा० बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.5.2014 तक का आय–व्ययक के अनुमोदन हेतु तथा प्राधिकरण की योजनाओं में एस0टी0पी0के रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय–व्ययक् पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा० बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 02

मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) की महायोजना 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

वर्ष 2003 में अधिसूचित मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला) के अन्तर्गत 17 ग्रामों की महायोजना के प्रस्ताव का मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। विस्तृत चर्चा उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों व तद्नुसार तैयार किये गये मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला) महायोजना–2021 को, क्षेत्र के नियोजित विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त स्पष्ट अभिमत व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया गया एवं अनुमोदित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों द्वारा महायोजना का लम्बी अवधि से लम्बित होने के कारण प्रस्तुत महायोजना प्रस्ताव को क्षेत्र के त्वरित अवस्थापना विकास हेतु शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर जोर दिया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग सैल (उ0प्र0), गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार सहायक नियोजक द्वारा पुनः दिये गये अभिमत/आपत्ति (जो कि गठित सुनवाई समिति की बैठक दिनांक 28–05–2013 के कार्यवृत्त में अंकित है एवं प्रस्तुत ऐजेण्डा के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न है) के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव, शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 : 03

पल्लवपुरम आवासीय योजना पाकेट–जे में आवंटित व्यवसायिक भूखण्डों पर अवैध कब्जा धारकों को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कॉम्पलेक्स में दुकान दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। मा0 बोर्ड को अवगत कराया कि कि मुख्य रूड़की मार्ग पर स्थित प्राधिकरण की पल्लवपुरम योजना के पॉकेट जे में भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान 40 व्यक्तियों द्वारा जमीन किसानों से क्रय की हुई है, अनाधिकृत रूप से दुकानें व आवास बनाकर काबिज है जिन्हें स्थल पर हटाने हेतु कई बार डिमोलेशन अभियान चलाया गया किन्तु प्राधिकरण को सफलता नहीं मिली। अवैध कब्जा धारकों के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता के दौरान उन्हें वहाँ से शिफ्ट करने के लिये प्राधिकरण की योजना में दुकानें बनाकर, बिना नीलामी प्रक्रिया के वर्तमान मूल्य पर लाटरी के माध्यम से आवंटित करने का यह प्रस्ताव मा0 बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया प्रस्ताव अनुसार समायोजन करने से प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी बल्कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति निस्तारित होने से उक्तवत् आय होगी। मा0 बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्देश दिया कि इसके लिये एक समिति गठित कर लें। समिति यह परीक्षण करके डिटेल रिपोर्ट बना लें कि पुर्नवास (rehabilitate) के लिये शासनादेश में क्या व्यवस्था है, कितने भवन है, कितनी जमीन है, शासनादेश समर्थित बुकलेट बना लें। अवैध कब्जा धारक कब से काबिज हैं जिसमें मा0 न्यायालय के निर्णय तथा शासनादेश का भी सन्दर्भ हो, के साथ प्राधिकरण की अगली बोर्ड में रखें जिससे दीर्घकाल से लंबित समस्या का निदान हो सके।

मद सं0 : 04

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का अनुरक्षण/संचालन जन सहभागिता के माध्यम से करने हेतु फर्मस/संस्थाओं/व्यक्तियों को ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा यह सहमत व्यक्त कर निर्देश दिये कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित नीति के अनुसार इस विषय में एक नीति का मसौदा बना लें व तदनुसार विज्ञापन की प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जाये।

मद सं0 : 05

मैसर्स सत्यम एसोसियेटस द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0 35/2013 में निहित ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा के खसरा सं0 173, 174, 175, 179, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 246, 251, 252, 253, 254 व 255 तथा ग्राम दुल्हैडा चौहान के खसरा सं0 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1446 से 1470 कुल 229144 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि बिल्डर द्वारा तलपट मानचित्र सं0 21/2008 व 30/2012 की स्वीकृति की शर्ते पूर्ण की गयी है अथवा नहीं। तलपट मानचित्र सं0 35/2013 के परीक्षण हेतु 03 सदस्यों की समिति जिसमें एक सदस्य एन0सी0आर0 प्लानिंग सैल (उ0प्र0), एक सदस्य मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा एक सदस्य भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ होंगे, गठित की।

मद सं0 : 06

फार्म हाउस, क्लब, वोटेनिकल गार्डन आदि मानचित्रों पर वाहय विकास शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर लिये जाने का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि आवासीय एवं व्यवसायिक मानचित्रों पर भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर वाहय् विकास शुल्क लिया जाता है। बाकी प्रकरणों क्या प्रचलन है, क्या नीति बना रही है, मथुरा, आगरा व गाजियाबाद विकास प्राधिकणों से पूछ लिया जाये, तदोपरान्त अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाय।

मद सं0 : 07

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में निविदा–सह–नीलामी पद्धति से सम्पत्तियों के निस्तारण हो जाने के पश्चात् नीलामीदाता के डिफाल्टर हो जाने पर सम्पत्ति के निरस्तीकरण व बहाली तथा धनराशि की वापसी विषयक प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण की शर्तो में क्या प्राविधान है, मथुरा, आगरा व गाजियाबाद विकास प्राधिकणों से पूछ लिया जाये, इन प्राधिकरणों में प्रचलित नीतियों के अनुसार कार्यवाही करने की बजाय प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाये।

मद सं0 : 08

नगरीय क्षेत्रो में मुख्य मार्गो पर सीमित गहराई तक मिश्रित भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि प्रस्ताव पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रस्ताव का 03 सदस्यों की समिति (एक सदस्य एन0सी0आर0, एक सदस्य मुख्य नगर नियोजक व एक सदस्य मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, मेरठ) परीक्षण कर लें तथा प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखे।

मद सं0 : 09

ओ0टी0एस0योजना 2005 का लाभ अनुमन्यं कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि प्रस्ताव का वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण कर अगली बोर्ड बैठक में रखे तथा शासनादेशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

मद सं0 : 10

शताब्दीनगर आवासीय योजना में हवाई पट्टी के निस्तारण से प्रभावित 04 भवनों के समायोजन/परिवर्तन का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित प्रश्नगत 275 सम्पत्तियाँ एक ही स्थान पर उसी योजना में एक साथ लाटरी पद्धति से समायोजित किये जाने के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 11

पांडव नगर आवासीय योजना को मुख्य मार्ग से जोडने हेतु उपयोग की जा रही भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के संबंध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा यह निर्देश दिये गये कि प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (रिवेन्यु) से विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाये तथा यदि यह राय नकारात्मक आती है तब अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित भूमि के टुकड़ों का कलेक्टर रेट का भी विश्लेषण कर लिया जाये ताकि भूमि के परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की महंगी जमीन मालिकों की सस्ती जमीन से न बदली जाये।

मद सं0 : 12

वेदव्यासपुरी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनार्जित भूमि खसरा संख्या–1009 व 1011 ग्राम घाट के कृषकों की सडकों में जाने वाली भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के संबंध में ।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा यह निर्देश दिये गये कि प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (रिवेन्यु) से विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाये तथा यदि यह राय नकारात्मक आती है तब अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित भूमि के टुकड़ों का कलेक्टर रेट का भी विश्लेषण कर लिया जाये ताकि भूमि के परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की महंगी जमीन मालिकों की सस्ती जमीन से न बदली जाये।

मद सं0 : 13

दण्ड ब्याज सहित परिसम्पत्तियों का मूल्य सम्पत्ति की वर्तमान कीमत से अधिक होने पर पूर्व में जमा धनराशि समायोजित करते हुए एक मुश्त भुगतान करके रजिस्ट्री की अनुमति के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि प्रस्ताव का वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण करके स्पष्ट मत के साथ प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित भूमि के टुकड़ों का कलेक्टर रेट का भी विश्लेषण कर लिया जाये ताकि भूमि के परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की महंगी जमीन मालिकों की सस्ती जमीन से न बदली जाये।

मद सं0 : 14

भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। एन0सी0आर0 प्लानिंग सैल (उ0प्र0) के सदस्य द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की कि प्रस्ताव सुनियोजित विकास के विपरीत है, भू–उपयोग बदला न जाये। मा0 बोर्ड द्वारा 03 सदस्यों की गठित समिति (एक सदस्य एन0सी0आर0, एक सदस्य मुख्य नगर नियोजक, एम0डी0ए0 व एक सदस्य ए0डी0एम0 एल0ए0) प्रकरण की जेन्युननेस देखें और प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखें।

मद सं0 : 15

निर्मित आवासीय क्षेत्र में उप–विभाजन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी और यह निर्देश दिये गये कि यह उपविभाजन केवल संयुक्त परिवार के विभाजन होने पर मान्य होगा तथा प्रत्येक उपविभाजित भाग 100 वर्ग मीटर से कम न हो।

मद सं0 : 16

आवास एवं विकास परिषद षरा योजना संख्या 11 जागृति विहार (विस्तार), मेरठ में महायोजना 2021 के अन्तर्गत 45 मीटर चौड़ी सड़क के अलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक अनुपूरक प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

अनुपूरक मद सं0 01

ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में एफ0ए0आर0के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा यह निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं में 1.5 एफ0ए0आर0/2.5 एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में एक समिति बनाकर यह परीक्षण करा लें कि योजना अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं से किन किन योजनाओं में अतिरिक्त 2.5 एफ0ए0आर0 की सुविधा दी जा सकती है। परीक्षण कर अगली बैठक में रखा जाये।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शासन द्वारा नामित सदस्यों–श्री परविन्दर इसू व डा0 राजेश सिंह द्वारा रखे गये बिन्दुओं पर मा0 बोर्ड के निर्देशः–

1. श्री इसू द्वारा शहीदों के स्मारकों के जिर्णोद्धार के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के पूर्व निर्णय का स्मरण कराते हुए प्रगति जानने की जिज्ञाशा की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि स्मारकों को स्थापना निधि से जिर्णोद्धार कराने के लिये निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है।
2. श्री इसू द्वारा मल्टी परपज पार्किंग का प्रस्ताव रखा गया जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा भूमि चिन्हित करने के निर्देश के साथ साथ यह भी निर्देश दिये गये कि भूमि के चिन्हीकरण हेतु प्राधिकरण के मुख्य

अभियन्ता, नगर निगम के मुख्य अभियन्ता तथा तीसरे सदस्य श्री इसु होगे। तद्नुसार प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

3. वर्षा प्रारम्भ होने वाली है, अतः सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाये।

4. शताब्दीनगर योजना के उन किसानों का प्रतिकर भुगतान जिनके द्वारा अर्जित भूमि का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को दिया जा चुका है, के भुगतान हेतु तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ अपने अपने अभिलेखों का परस्पर मिलान कर भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

5. डा0 राजेश सिंह द्वारा गंगानगर एक्सटेंशन योजना की अर्जित भूमि पर आवंटित किये गये भूखण्डों के सम्बन्ध में आवंटियों को कब्जा दिलाने की बात रखी गयी। इस सम्बन्ध में माननीय बोर्ड द्वारा योजना की भूमि पर 3 माह की अवधि के अन्दर भौतिक कब्जा प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

6. शासन द्वारा नामित सदस्यों द्वारा अर्से से पड़ी अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष/सचिव श्री राजेश कुमार का धन्यवाद दिया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष/सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

18/3/14

(पंकज यादव)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।